

G.S.R. 192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clause (g) of sub-section (2) of that section, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Conditions of Exemption) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 1974.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);

(b) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act.

3. Conditions of Exemption.—The buildings building operations or engineering operations which have been designed as a result of an architectural competition recognised by the Indian Institute of Architects shall be exempt from the purview of sub-section (2) of section 11 and section 12 of the Act:

Provided that the following conditions are fulfilled, namely:—

(i) the Commission shall be consulted before the rules, programme and criteria of judgement are finalised, so that the Commission's point of view is fully reflected in the Design programme of the Competition; and

(ii) that the Secretary of the Commission is included as an ex-officio member of the jury appointed to select the prize winning design.

Provided further that if such a prize-winning design undergoes modification at the request of the user before construction is actually undertaken, such a building, building operation or engineering operation shall not be exempt from the provisions of the said sections.

[No. M.11018/4/73-UDII]

Attested

2
23-7-15
Asst. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publications
Civil Lines, Delhi-54

सा० का० नि० सं० 192(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के साध पठित उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (छूट की शर्तों) नियम, 1974।

(2) ये नियम 1 मई 1974 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 अभिप्रेत है।

(ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर कला आयोग अभिप्रेत है।

3. छूट की शर्तें.—भवनों निर्माण क्रियाओं या इंजीनियरी क्रियाओं को जो भारतीय वास्तुकला संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त किसी वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता के फलस्वरूप कर्पांकित की गई हों। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) और धारा 12 के क्षेत्र से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों, अर्थात् :—

(i) इससे पूर्व कि नियमों, कार्यक्रम और निर्णय के सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिया जाए आयोग से परामर्श किया जाएगा ताकि आयोग का दृष्टिकोण प्रतियोगिता के रूपांकन कार्यक्रम में पूर्णतः प्रतिदर्शित हो जाए; और

(ii) आयोग का सचिव पुरस्कार जीतने वाले रूपांकन का चयन करने के लिए नियुक्त जूरी के सदन सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया हो :

परन्तु यह और कियदि किसी ऐसे पुरस्कार जीतने वाले रूपांकन में, वस्तुतः सन्निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उपभोक्ता के आवेदन पर उपान्तरण किया गया हो तो ऐसे किसी भवन, निर्माण क्रिया या इंजीनियरी क्रिया को उक्त धाराओं के उपबन्धों से छूट नहीं दी जाएगी।

[सं० एम० 11018/4/73-यू० डी II]

Attended

23-7-15
Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54